(5)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक 978-दो/2007 निगरानी - विरूद्ध आदेश दिनांक 23-5-2007 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण कमांक 430/2005-06 अपील

1- हृदयलाल साहू पुत्र रूपनारायण साहू
2- जगदीश प्रसाद पुत्र जैतलाल साहू
3- प्रेमलाल पुत्र बन्धू साहू
तीनों निवासीगण ग्राम मेढोली तहसील सिंगरोली
जिला सीधी, मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्ध

1- नन्द सिंह पुत्र लक्खा सिंह
2- जसबिन्दर सिंह पुत्र नन्द सिंह
निवासीगण ग्राम मेढोली तहसील सिंगरोली
जिला सीधी मध्य प्रदेश
3- मध्य प्रदेश शासन --अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री डी0एस0चौहान)
(अनावेदक क-1,2 के अभिभाषक श्री के0के0द्विवेदी)

आ दे श

(आज दिनांक 27-3-2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त,रीवा संभाग,रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 430/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 23-5-2007 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदकगण ने तहसीलदार सिंगरोली के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 121 के अंतर्गत प्रार्थना

प्रस्तुत कर मॉग रखी कि ग्राम मेढोली स्थित भूमि सर्वे कमांक 348/1 रकबा 2.832 हैक्टर है जो राजस्व अभिलेख में मध्य प्रदेश शासन के नाम पर है इस भूमि के अंश भाग 0.200 हैक्टर - 0.200 हैक्टर पर आवेदकगण 1960-61 से काविज होकर आबादी के रूप में प्रयोग कर रहे है इसलिये मौके के कब्जे अनुसार हृदयलाल साहू पुत्र रूपनारायण साहू का 0.200 है पर तथा जगदीश प्रसाद का 0.200 हैक्टर पर एंव प्रेमलाल का 0.240 हैक्टर पर कब्जा दर्ज किया जाय। तहसीलदार सिंगरोली ने प्रकरण कमांक 41 अ-6-अ/2004-05 पंजीबद्व किया तथा जॉच एंव सुनवाई कर आदेश दिनांक 15-6-2005 पारित किया एंव उक्तांकित रकबे पर आवेदकगण का कब्जा दर्ज करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्व अनावेदक कमांक-1 ने अनुविभागीय अधिकारी सिंगरोली के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी सिंगरोली ने प्रकरण कमांक 12/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 14-2-2006 से तहसीलदार का आदेश दिनांक 15-6-2005 निरस्त किया एंव अपील स्वीकार की। इस आदेश के विरूद्व आवेदकगण ने अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 430/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 23-5-2007 से अपील निरस्त कर दी। इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी प्रस्तुत हुई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि जब जॉच के दौरान तहसीलदार ने आवेदकगण का कब्जा वर्ष 1960-61 प्रमाणित पाया है तथा आवेदकगण की आबादी के उपयोग में भूमि आ रही है मौके की साक्ष्य ली गई है पटवारी प्रतिवेदन में आवेदकगण का कब्जा प्रमाणित हुआ है एंव पूर्ण सन्तुष्टि उपरांत तहसीलदार ने आदेश दिनांक 15-6-05 से आवेदकगण के हित में कब्जा दर्ज करने के आदेश दिये है जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने जानबूझकर अनावेदकगण को लाभ पहुंचाने के लिये मनमाफिक अर्थ निकाल कर तहसीलदार के आदेश को निरस्त करने में भूल की है जिस पर अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 23-5-07 पारित करते समय ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी एंव अपर आयुक्त के आदेश को निरस्त करने की मांग रखी।

अनावेदकगण के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि जब व्यवहार न्यायालय से अनावेदकगण के हित में वाद विचारित भूमि की डिकी है एंव वह भूमिस्वामी है तब व्यवहार न्यायालय के आदेश को अनदेखी करके तहसीलदार ने बेजा कब्जा दर्ज करने में भूल की है। उन्होंने तहसीलदार के आदेश को त्रृटिपूर्ण होना बताते हुये अनुविभागीय अधिकारी एंव अपर आयुक्त के आदेश को सही ठहराते हुये निगरानी निरस्त करने मी मांग की।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालयों के प्रकरणों में आये तथ्यों के अवलोकन से परिलक्षित है कि अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने आदेश दिनांक 23-5-07 में विवेचित किया है कि भूमि सर्वे कमांक 348/1 रकबा 2.832 हैक्टर, 349/1 रकबा 0.809 हैक्टर एंव 354/1 रकबा 1.619 हैक्टर का अनावेदकगण को प्रथम अपर जिला न्यायालय के वाद कमांक 17 ए/02 में पारित आदेश दिनांक 23-9-02 से भूमिस्वामी घोषित किया है जिसके कारण उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को उचित ठहराते हुये सिविल न्यायालय के आदेश के कारण तहसीलदार द्वारा आवेदकगण के हित में ग्राम मेढोली स्थित भूमि सर्वे कमांक 348/1 रकबा 2.832 हैक्टर के अॅश भाग कमशः हृदयलाल साहू का 0.200 है पर , जगदीश प्रसाद का 0.200 हैक्टर पर एंव प्रेमलाल का 0.240 हैक्टर पर कब्जा दर्ज करना नियमानुकूल नहीं माना है। यह सही है कि माननीय प्रथम अपर जिला न्यायालय के वाद कमांक 17 ए/02 में पारित आदेश दिनांक 23-9-02 वादग्रस्त भूमि के रिकार्डेड भूमिस्वामी अनावेदकगण है , परन्तु मौके पर कब्जे की स्थिति अनुसार ग्राम मेढोली स्थित भूमि सर्वे कमांक 348/1 रकबा 2.832 हैक्टर के अॅश भाग कमशः हृदयलाल साहू का 0.200 है पर , जगदीश प्रसाद का 0.200 हैक्टर पर एंव प्रेमलाल का 0.240 हैक्टर का कब्जा प्रमाणित पाया गया है कब्जे का तथ्य एंव भूमिस्वामी स्वत्व के तथ्य अलग अलग प्रकार के तथ्य हैं तहसीलदार ने अनावेदकगण के भूमिस्वामी स्वत्व में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया है अपितु आवेदकगण उक्तनुसार भूमि पर वर्ष 1960-61 से कब्जेदार होना प्रमाणित हुये है, जिसके कारण तहसीलदार तद्नुसार कब्जा दर्ज करने हेतु संहिता की धारा 121 के अधीन स्वतंत्र है क्योंकि तहसीलदार ने उक्तांकित रकबे पर कब्जा दर्ज करके खसरे के खाना नंबर 3 में अनावेदकगण के अभिलिखित भूमिस्वामी स्वत्व में दखलन्दाजी नहीं की है अपितु खसरे के कैफियत के खाना नंबर 12में कब्जे की मात्र प्रविष्टि दर्ज करने के

आदेश दिये हैं। यदि आवेदकगण के सम्बन्ध में अनावेदक यह मानते हैं कि आवेदकगण ने उनके स्वामित्व की भूमि पर बेजा कब्जा किया है वह सक्षम न्यायालय में कब्जा हटाने की कार्यवाही कराने हेतु स्वतंत्र हैं परन्तु अनुविभागीय अधिकारी सिंगरोली ने प्रकरण कमांक 12/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 14-2-2006 में उक्त तथ्यों पर ध्यान दे न देते हुये आवेदकगण के हितों के विपरीत निर्णय लिया है इसी प्रकार अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण में आये वास्तविक तथ्यों से हटकर विपरीत अर्थ निकालते हुये आदेश दिनांक 23-5-07 पारित किया है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी सिंगरोली द्वारा प्रकरण कमांक 12/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 14-2-2006 तथा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 430/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 23-5-2007 दोषपूर्ण होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं हैं।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 430/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 23-5-2007 एंव अनुविभागीय अधिकारी सिंगरोली द्वारा प्रकरण कमांक 12/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 14-2-2006 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं एंव तहसीलदार सिंगरोली द्वारा प्रकरण कमांक 41 अ-6-अ/2004-05 में पारित आदेश दिनांक 15-6-2005 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0
ग्वालियर